न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मनोज कुमार बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 35/2025
निर्णय दिनांक ....5/06/25....

मनोज कुमार पुत्र नत्थू राम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास छोटा के खसरा सं. 1065 तादादी 11.9495 हैक्ट. प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का निवास स्थान डूंगरपुरा अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि आधार कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में निवास स्थान डूंगरसिंहपुरा है। प्रार्थी जमांबदी में अपना निवास स्थान डूंगरपुरा के स्थान पर डूंगरसिंहपुरा करवाने का निवेदन किया है। निवास में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास छोटा के खसरा सं. 1065 तादादी 11.9495 हैक्ट. में प्रार्थी का निवास स्थान डूंगरसिंहपुरा किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का निवास स्थान डूंगरसिंहपुरा सही होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों से प्रार्थी का निवास स्थान डूंगरसिंहपुरा पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का निवास स्थान डूंगरपुरा अंकित है। निवास में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास छोटा के खसरा सं. 1065 तादादी 11.9495 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का निवास स्थान **डूंगरपुरा Delete** कर इसके स्थान पर **डूंगरसिंहपुरा** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....5/06/25.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)